

स्वीकृत्यादेश संख्या-कारा/भवन-32/2010 (पार्ट-1)-3990 दिनांक-05.07.2016  
का प्रतिस्थानी आदेश।

पत्र संख्या-कारा/भवन-32/2010 (पार्ट-1).....५११४

**बिहार सरकार**  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

रोवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-...17.../...8.../2016

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0103-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण हेतु विपत्र कोड-P4070000510103 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5423, 53 01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत नवनिर्मित मंडल कारा, अररिया, जमुई, भमुआ एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि ₹79,41,52,000 (उनासी करोड़ एकतालीस लाख बावन हजार) रुपये मात्र के विरुद्ध शेष राशि ₹27,12,97,000 (सताईस करोड़ बारह लाख सनतानबे हजार) रुपये मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना के अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0103-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण हेतु विपत्र कोड-P4070000510103 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5423, 53 01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत नवनिर्मित मंडल कारा, अररिया, जमुई, भमुआ एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि ₹79,41,52,000 (उनासी करोड़ एकतालीस लाख बावन हजार) रुपये मात्र के विरुद्ध शेष राशि ₹27,12,97,000 (सताईस करोड़ बारह लाख सनतानबे हजार) रुपये मात्र वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि०(2) दिनांक-03.01.2008 की कड़िका 4 (क) के आलोक में विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ होंगे तथा वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.09.1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राशि की निकासी सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी तथा आधारभूत सार्वजनिक विकास प्राधिकार, पटना को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पी०एल० खाता संख्या-PLA-268, व्यय शीर्ष-0029-(L-8448001200029), प्राप्तियों-0029-(K-8448001200029) में राशि जमा किया जाएगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹27,12,97,000 (सताईस करोड़ बारह लाख सनतानबे हजार) रुपये मात्र का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0103-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण हेतु विपत्र कोड-P4070000510103 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5423, 53 01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत विकलनीय होगा।

92

5. योजना के ससमय एवं गुणवत्तापूर्वक कार्यान्वयन का दायित्व आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना का होगा, जो निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को भेजेगें।


6. योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5281 दिनांक-29.10.2013 द्वारा मंडल कारा, अररिया एवं जमुई के भवन निर्माण हेतु दी गई है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1365 दिनांक-28.03.2011 द्वारा मंडल कारा, भभुआ के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

7. स्वीकृत योजना के लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 7355 वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उक्त विमुक्ति आदेश के आधार पर निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

9. इस आशय का पूर्व में महालेखाकार को संबोधित स्वीकृत्यादेश संख्या-3990 दिनांक-05.07.2016 यथा संशोधित माना जाये।


विश्वासभाजन

  
17.8.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र0)  
पटना, दिनांक 17-8-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/2010-(पार्ट-1)-4998


प्रतिलिपि:-सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई, अररिया एवं भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.8.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र0)  
पटना, दिनांक-17-8-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/2010-(पार्ट-1)-4998


प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.8.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र0)  
पटना, दिनांक-17-8-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/2010-(पार्ट-1)-4998


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त निदेशक, गृह (भारक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.8.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र0)  
पटना, दिनांक-17-8-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-32/2010-(पार्ट-1)-4998

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.8.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र0)